

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

✓ सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-एम०ई०-3/2017/861, दिनांक 19.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।


2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय में निर्गत शासनादेश संख्या-2234/71-2-17-158/2017, दिनांक 03.07.2017 के प्रस्तर-(XIII) में उल्लिखित 'काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया' के क्रम सं०-6 पर उल्लिखित प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के आबंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि को निम्नवत संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	विवरण	शासनादेश दि० 03.07.2017 में उल्लिखित तिथि/दिवस		यथा संशोधित	
		तिथि	दिवस	तिथि	दिवस
6	प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के आबंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	18.07.2017 से 19.07.2017	02	18.07.2017 से 21.07.2017	04

3- उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2017 इस सीमा तक समझा जाय। शेष प्राविधान/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आबंटन पत्र डाउनलोड करने की उपर्युक्त संशोधित तिथि की सूचना समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों को एस०एम०एस०/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

इस संशोधन की सूचना तत्काल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अधिकृत वेबसाइट [www.updgm.in](http://www.updgm.in) एवं <https://upneet.gov.in> पर अपलोड की जायेगी।

भवदीय,  
  
19/07/17

( संजय कुमार उपाध्याय )  
विशेष सचिव।

संख्या— (1)/71-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०/डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विष्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान/अल्पसंख्यक डीम्ड विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० शासन।
10. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( नीलेश कुमार सिंह )

अनु सचिव।